भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1254
दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अटल भूजल योजना एवं जल जीवन मिशन

1254. श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2019 में अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम शुरू किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, जिला-वार और परियोजना-वार विशेष रूप से झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों और महाराष्ट्र में लातूर, सतारा और सोलापुर जिले में क्या कार्य किये गये/किए जा रहे हैं और स्वीकृत/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): अटल भूजल योजना 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गतिविधियों के सामंजस्य के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व में स्थायी भूजल प्रबंधन करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन प्रतिभागी राज्यों में भू-जल डाटा निगरानी और प्रसार करने, जल बजट बनाने, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के प्रस्तावित हस्तक्षेपों को शामिल करके ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने तथा चल रही योजनाओं के सामंजस्य तथा स्थायी भू-जल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी के जरिए किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत निधि, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय पूर्व-निर्धारित संकेतकों की उपलब्धियों के आधार पर कार्यनिष्पादन के अनुसार जारी की जा रही है। दिनांक 12.07.2023 की स्थिति के अनुसार, 7 प्रतिभागी राज्यों को निम्नलिखित निधियां जारी की गई हैं –

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	जारी की गई निधियां
2020-21	109.00
2021-22	310.40
2022-23	1,138.53
2023-24	130.97
कुल	1,688.90

योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसेकि डाटा संग्रहण के लिए योजना के उद्देश्यों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार मानदंडों को इष्टतम बनाया गया है, एमआईएस को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी यूनिट (एनपीएमयू) के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं आदि की गई हैं।

भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 24.07.2023 तक, जेजेएम के तहत लगभग 9.40 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.07.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.47 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 12.63 करोड़ (64.9%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति प्राप्त होने की सूचना है और शेष 6.84 करोड़ को वर्ष 2024 तक कवर कर लिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इस विभाग द्वारा जिला-वार एवं परियोजना-वार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है और योजनाओं/परियोजनाओं तथा उनका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (24.07.2023 की स्थिति के अनुसार) में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आबंटित केन्द्रीय निधि, आहरित निधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित निधि उपयोग का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पूरे देश में जेजेएम के लक्ष्य को तेजी से और पैमाने के साथ हासिल करने के लिए, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर कई कदमों के माध्यम से मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा विद्यालयों में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(24.07.2023 की स्थिति के अनुसार)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख के अनुसार कुल ग्रामीण परिवार	ग्रामीण परिवारों को दिए गए नल जल कनेक्शन	
			संख्या	% में
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.55	66.95	70.07
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.30	1.96	85.28
4.	असम	68.24	35.87	52.57
5.	बिहार	166.30	160.29	96.38
6.	छत्तीसगढ़	50.12	27.02	53.92
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	2.63	100.00
9.	गुजरात	91.18	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	17.09	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.66	12.40	66.43
13.	झारखंड	61.27	23.88	38.97
14.	कर्नाटक	101.17	69.61	68.81
15.	केरल	70.82	35.29	49.84
16.	लद्दाख	0.42	0.33	77.77
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.28
18.	मध्य प्रदेश	119.64	61.17	51.13
19.	महाराष्ट्र	146.73	113.94	77.65
20.	मणिपुर	4.52	3.46	76.72
21.	मेघालय	6.52	3.49	53.56
22.	मिजोरम	1.33	1.20	90.39
23.	नागालैंड	3.69	2.73	73.82
24.	ओडिशा	88.67	55.29	62.36
25.	पुदुचेरी	1.15	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.26	34.26	100.00
27.	राजस्थान	108.03	44.49	41.19
28.	सिक्किम	1.32	1.14	86.37
29.	तमिलनाडु	125.53	88.48	70.48
30.	तेलंगाना	53.98	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.44	4.92	66.19
32.	उत्तर प्रदेश	266.55	142.09	53.31
33.	उत्तराखंड	14.94	11.76	78.67
34.	पश्चिम बंगाल	184.54	63.40	34.36
	कुल	**19,46.60**	**12,63.34**	**64.90**

दिल्ली और चण्डीगढ़ में ग्रामीण आबादी नहीं है। स्रोत: जेजेएम – आईएमआईएस एचएच: परिवार

अनुबंध-II

दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

जल जीवन मिशन: 2019-20 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
7.	गोवा	0.00	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0.00	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	382.97	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0.00	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0.00	56.49	56.49	58.44	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	27.02	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	119.43	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	195.90	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.10
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03

दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण व दीव और लक्षद्वीप ने निधियों का लाभ नहीं उठाया।

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2020-21 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
7.	गोवा	-	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.20	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.48	188.30	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22.	ओडिशा	90.50	812.15	609.11	699.61	688.69	673.00
23.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.38	0.20	1.00
24.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	116.32	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	256.52	195.00	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.94	1,295.47	2,227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17

दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण व दीव और लक्षद्वीप ने निधियों का लाभ नहीं उठाया।

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2021-22 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.05	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	791.06	937.71	234.76	235.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	1,555.53	1,565.51	1,114.29	106.62
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.44	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	340.45
6.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
7.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	559.98	592.22	434.74	431.27
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	2,012.78	2,239.20	1,420.94	146.73
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12.	झारखंड	124.83	2,479.88	512.22	637.05	437.21	510.99
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	2,504.40	2,681.56	1,418.56	1,557.92
14.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
18.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	2,492.56	2,503.49	1,306.20	1,289.71
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.66	2.32	0.10
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	175.81
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.16	1,664.02
26.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	991.83	457.55	496.23
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	5,435.25	5,901.81	2,930.07	3,525.40
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	597.97	67.40
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77

दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण व दीव और लक्षद्वीप ने निधियों का लाभ नहीं उठाया।

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2022-23 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.53	9.15	2.16	3.69	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	702.95	3,458.20	एनडी	702.95	305.08	98.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	451.21	1,116.35	1,116.35	1,567.56	1,278.63	153.03
4.	असम	1,819.21	6,117.61	4,588.21	6,407.42	3,959.95	442.75
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	54.95	एनआर	66.19
6.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	2,223.98	2,371.04	2,097.06	2,079.48
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.95	11.04	20.14
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	3,590.16	4,173.55	3,084.89	3,272.38
9.	हरियाणा	157.47	1,157.44	463.00	620.47	519.77	447.46
10.	हिमाचल प्रदेश	818.27	1,344.94	1,344.94	2,163.21	1,615.65	182.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	1,439.50	2,045.21	1,142.65	153.69
12.	झारखंड	199.83	2,825.52	2,119.14	2,318.97	1,789.85	1,593.00
13.	कर्नाटक	1,263.00	5,451.85	2,725.93	3,988.93	2,778.72	3,196.96
14.	केरल	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
15.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.32	एनआर
16.	लक्षद्वीप	-	36.99	9.25	9.25	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	4,586.93	3,526.66	3,516.16
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.69	2,972.28
19.	मणिपुर	142.03	512.05	256.03	398.06	231.97	26.03
20.	मेघालय	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
21.	मिजोरम	80.08	333.91	448.58	528.66	407.40	45.74
22.	नागालैंड	17.00	484.28	484.28	501.28	481.71	52.71
23.	ओडिशा	1,197.29	3,608.62	1,768.73	2,966.02	2,166.47	2,149.96
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.34	0.94	0.22
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	264.78	264.80	210.69
26.	राजस्थान	1,288.46	13,328.60	6,081.80	7,370.26	3,938.57	4,122.81
27.	सिक्किम	112.90	136.17	188.92	301.82	222.53	20.63
28.	तमिलनाडु	534.29	4,015.00	872.96	1,407.25	594.64	665.28
29.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	37.44	11.39	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	849.91	1,025.69	798.67	82.64
31.	उत्तर प्रदेश	2,971.74	12,662.05	9,496.54	12,468.28	9,990.16	9,444.95
32.	उत्तराखंड	596.09	1,612.50	1,209.38	1,805.47	1,517.93	164.10
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21

दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण व दीव ने निधियों का लाभ नहीं उठाया।

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस एनडी: आहरित नहीं एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: 2023-24 के दौरान आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण
(24.07.2023 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.09	7.52	एनडी	3.09	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	397.87	6,530.49	एनडी	397.87	299.43	374.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	288.93	1,057.11	एनडी	288.93	121.90	23.15
4.	असम	2,447.47	10,351.68	एनडी	2,447.47	1,650.00	183.86
5.	बिहार	54.95	-	एनडी	54.95	एनआर	एनआर
6.	छत्तीसगढ़	273.99	4,485.60	496.39	770.38	203.29	202.26
7.	गोवा	0.92	11.25	2.81	3.73	एनआर	0.36
8.	गुजरात	1,088.66	2,982.85	745.71	1,834.37	535.36	577.98
9.	हरियाणा	100.70	1,053.44	263.36	364.06	76.22	81.52
10.	हिमाचल प्रदेश	547.56	379.67	एनडी	547.56	187.44	25.65
11.	जम्मू एवं कश्मीर	902.56	9,611.31	716.78	1,619.34	645.14	63.88
12.	झारखंड	529.13	4,722.76	एनडी	529.13	367.89	667.79
13.	कर्नाटक	1,270.33	12,623.37	एनडी	1,270.33	44.40	43.72
14.	केरल	900.69	1,342.36	एनडी	900.69	684.01	679.92
15.	लद्दाख	280.68	477.11	एनडी	280.68	31.01	एनआर
16.	लक्षद्वीप	9.25	39.63	एनडी	9.25	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,060.06	10,297.86	1,323.73	2,383.79	1,235.28	1,239.74
18.	महाराष्ट्र	2,363.58	21,465.88	1,861.07	4,224.65	1,736.56	1,970.83
19.	मणिपुर	166.09	110.54	एनडी	166.09	एनआर	एनआर
20.	मेघालय	369.49	3,567.25	एनडी	369.49	347.29	39.50
21.	मिजोरम	121.27	425.46	एनडी	121.27	115.06	एनआर
22.	नागालैंड	19.57	366.86	91.72	111.29	14.89	0.94
23.	ओडिशा	799.56	2,108.54	एनडी	799.56	478.35	475.90
24.	पुदुचेरी	5.40	15.39	एनडी	5.40	0.88	0.08
25.	पंजाब	0.00	479.02	एनडी	-	एनआर	26.17
26.	राजस्थान	3,431.69	3,019.94	एनडी	3,431.69	1,722.61	1,055.63
27.	सिक्किम	79.29	634.55	65.81	145.10	97.78	8.01
28.	तमिलनाडु	812.60	3,615.56	एनडी	812.60	317.92	321.10
29.	तेलंगाना	26.06	-	एनडी	26.06	एनआर	एनआर
30.	त्रिपुरा	227.01	1,773.40	148.55	375.56	184.69	15.69
31.	उत्तर प्रदेश	2,478.12	20,884.45	5,823.53	8,301.65	4,988.57	5,500.47
32.	उत्तराखंड	297.46	4,689.69	372.67	670.13	392.16	48.27
33.	पश्चिम बंगाल	1,751.06	3,806.29	एनडी	1,751.06	794.02	839.04

दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण व दीव ने निधियों का लाभ नहीं उठाया।

स्रोत: जेजेएम- आईएमआईएस   एनडी: आहरित नहीं   एनआर: सूचित नहीं